राजस्थान–सरकार
कार्यालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

क्रमांक : एडीएम–1कोर्ट/जांच/रीडर/2018/451 दिनांक :–27.06.2018

प्रेषित :

सम्भागीय आयुक्त महोदय
जोधपुर।

विषय :– विस्तृत जाँच विरूद्ध श्री झूमरराम पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत खागटा, पंचायत समिति पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

प्रंसग :– आपका पत्र क्रमांकःसमसंख्यक/2014/1154–1157 दिनांक 9.06.2014।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासगिंक पत्र के द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 22 के उपनियम 3 अन्तर्गत पंचायत समिति पीपाड़ शहर की ग्राम पंचायत खागटा के पूर्व सरपंच श्री झूमरराम के विरूद्ध राज0 पंचायतीराज अधिनिम, 1994 की धारा 38 व 39 के अन्तर्गत जाँच विचाराधीन होने से जाँच हेतु प्रकरण प्राप्त होने पर आरोपी पूर्व सरपंच पूर्व सरपंच श्री झूमरराम को जवाब/सबूत पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये। आरोपी सरपंच श्री झूमरराम ने इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया।

विभागीय पैरोकार विकास अधिकारी पंचायत समिति पीपाड़ शहर ने अपने पत्रांक पसपी/नरेगा/2016–17/935 दिनांक 06.03.2017 को जवाब पेश किया।

आरोप :–

1. आप श्री झूमरराम पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत खांगटा, पंचायत समिति भोपालगढ के पद पर कार्यरत रहते थे। ग्राम पंचायत खांगटा के जांच के प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत खांगटा में नरेगा कार्यो में अनियमितता पायी गयी है। आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के क्रमांक एफ 51(1) ग्रावि/नरेगा/भा.स./शिका./जोधपुर/13–14 दिनांक 14.3.14 द्वारा प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा के तहत ग्राम खांगटा पंचायत समिति भोपालगढ जिला जोधपुर में नरेगा योजनान्तर्गत फर्जी जॉब कार्ड बनाकर भुगतान उठा लिया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

कार्य का नाम :– महात्मा गांधी नरेगा के तहत गांव खांगटा पंचायत समिति भोपालगढ, जिला जोधपुर (राजस्थान) में अध्यापक की उपस्थिति स्कूल में होने के बावजूद महात्मा गांधी नरेगा के तहत दो फर्जी जॉब कार्डो के जरिये भुगतान उठा गया है।

आरोपी सरपंच का जवाब :–

आरोपी पूर्व सरपंच श्री झूमरराम ने वर्णित आरोप पत्र कर जवाब इस कार्यालय में दिनांक 16.07.2014, 06.01.2015, 15.05.2015 को लिखित में कथन किया कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाये गये है, वह निराधार है। राज्य सरकार द्वारा आयुक्त नरेगा के पत्र क्रंमाक दिनांक 14 मार्च 2014 में जो मेरे ऊपर आरोप पत्र तैयार किया गया, उसमें वर्तमान सरपंच से वसूली हेतु लिखा गया है, जबकि मै भूतपर्व सरपंच हूं। जबकि मेरे कार्यकाल में कोई आरोपी सिद्ध नहीं होता है।

आरोपी पूर्व सरपंच श्री झूमरराम ने दिनांक 06.01.2015 को पुनः लिखित में अवगत कराया कि ग्राम पंचायत खांगटा में वर्ष 2008 में महानरेगा शुरू हुई थी, उस समय राज्य सरकार के आदेशानुसार हाथों–हाथ जॉब कार्ड बनाकर श्रमिकों को कार्य पर लगाया था। जॉब कार्ड बनाने के लिए किसी प्रकार के पहचान की अनिवार्यता नहीं थी। जॉब कार्ड का

आवेदन, आवेदक कर्त्ता द्वारा यह सत्यापित किया जाता था कि आवेदक ग्राम पंचायत खांगटा का निवासी है। अगर किसी लाभार्थी ने दोहरा आवेदक कर दोहरा जॉब कार्ड बना लिया है तो लाभार्थी स्वयं जिम्मेदार है। हमारी ग्राम पंचायत द्वारा किसी लाभार्थी को दोहरे जॉब कार्ड का लाभ नहीं दिया गया है।

जॉब कार्ड बनाने का कार्य ग्राम सेवक द्वारा किया जाता है। मेरे द्वारा सिर्फ यह पहचान की जाती है कि आवेदक ग्राम पंचायत खांगटा का निवासी है या नहीं। प्रार्थी सुभाष द्वारा स्वयं के नाम आवेदन करने पर उसका जॉब कार्ड 8848222A गया था, वह उसके पिताजी के आवेदन पत्र में उनके द्वारा सुभाष का उसके आवेदन पत्र में लिखने के कारण उनके जॉब कार्ड में भी सुभाष का नाम दर्ज हो गया। इसके लिए प्रार्थी खुद दोषी हैं

अतः ग्राम पंचायत द्वारा दोहरा लाभ नहीं दिया गया। मै जनवरी, 2010 तक ही सरपंच के पद पर था। 2011 में किये गये कार्य के लिए मै जिम्मेदार नहीं हूँ। अतः मुझे आरोप मुक्त किया जायें।

सरकारी पैरोकार का जवाबः–

महात्मा गांधी नरेगा के तहत गांव खांगटा तत्कालीन पंचायत समिति, भोपालगढ व वर्तमान पीपाड़ शहर जिला जोधपुर में अध्यापक की उपस्थिति स्कूल में होने के बावजूद महात्मा गांधी नरेगा के तहत दो फर्जी जॉब कार्ड के जरिये भुगतान उठाने बाबतः– उक्त शिकायत के सम्बन्ध में जॉब कार्ड सं. 8848022 में मुखिया सोहनराम था जिसमें उसके पुत्र सुभाष का नाम था। जॉब कार्ड सं. 8848022 में सुभाष पुत्र सोहनराम का नाम होने के बावजूद दूसरा जॉब कार्ड सं. 8848022–अ बना दिया। जॉब कार्ड सं. 8848022–अ के जॉब कार्ड आवेदन प्रपत्र–1 में आवेदक मुखिया व सदस्य के नाम का मिलान करना था कि आवेदन करने वाले व्यक्तियों के नाम पूर्व के जॉब कार्ड में है तो नही। प्रपत्र–1 में सरपंच व ग्राम सचिव ग्राम निवासी होने व आवेदन में मुखिया व अन्य परिवार के सदस्य होने के सम्बन्ध में प्रमाणित करते है। उक्त जॉब कार्ड पूर्व सरपंच श्री झूमरराम के कार्यकाल के दौरान बनाये गये थे।

निष्कर्ष :–

इस प्रकार सरकारी पैरोकार विकास अधिकारी, पंचायत समिति पीपाड़ शहर के द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार सुभाष अध्यापक की उपस्थिति स्कूल में होने के बावजूद महात्मा गांधी नरेगा के तहत 2 फर्जी जॉब कार्ड संख्या 8848022 मुखिया सोहनराम था, जिसमें उसके पुत्र सुभाष का नाम था, उक्त जॉब कार्ड में सुभाष पुत्र सोहनराम का नाम होने के बावजूद दूसरा जॉब कार्ड 8848022A बना दिया। जॉब कार्ड संख्या 8848022A के जॉब कार्ड आवेदन प्रपत्र –1 में आवेदक मुखिया व सदस्य के नाम का मिलान करना था कि उनका नाम पूर्व के जॉब कार्ड में है या नहीं। उक्त दोनों जॉब कार्ड पूर्व सरपंच श्री झूमरराम के कार्यकाल के दौरान बनाये गये थे। पूर्व सरपंच श्री झूमरराम के विरूद्ध आरोप सिद्ध प्रमाणित होते है, वह दोषी है।

सलंग्न :– मूल पत्रादि।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर